रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277209
CG-DL-E-16102026-277209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5445] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948
No. 5445] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5661(अ).—भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि वायुयाव (खतरनाक माल का वहन) नियमावली, 2026 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा प्रयोग करने योग्य शक्तियां, उक्त अधिनियम और उक्त नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, इस अनुसूची के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी उक्त प्रथम अनुसूची के कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रयोग करने योग्य होंगी।

प्रथम अनुसूची

नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी	द्वितीय अनुसूची में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की क्रम संख्या
(1)	(2)
संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन	1 से 10

उप महानिदेशक, नागर विमानन	4,5,9,10
निदेशक (विनियम और सूचना)- खतरनाक माल प्रभाग	3,6,9,10
उप निदेशक (विनियम और सूचना)- खतरनाक माल प्रभाग	6,9
वरिष्ठ निरीक्षक खतरनाक माल	6,9

द्वितीय अनुसूची

क्र.सं.	**विमान (खतरनाक माल का परिवहन) नियमावली, 2026 के प्रावधान**	**शक्ति की प्रकृति**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	नियम 3 के उप-नियम (1) का प्रथम परंतुक	जहाँ भी प्रचालक का राष्ट्र भारत है, वहां खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रचालक को प्रमाणित करने हेतु।
2.	नियम 3 के उप-नियम (1) का द्वितीय परंतुक	जहाँ भी प्रचालक का राष्ट्र भारत से अलग है, वहाँ खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रमाणित प्रचालक को अनुमोदन प्रदान करने हेतु।
3.	नियम 3 का उप-नियम (3)	कुछ खतरनाक माल के हवाई परिवहन के लिए अनुमोदन प्रदान करना, जहाँ तकनीकी अनुदेश निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसे माल के विमान में परिवहन को या अन्य उद्देश्यों के लिए परिवहन हेतु मूल स्थल के राष्ट्र और प्रचालक के राष्ट्र के उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए, जहाँ भी भारत प्रचालक या मूल राष्ट्र है।
4.	नियम 9 का उप-नियम (5)	प्रचालक को यह निर्देश देना कि वह प्रेषक या उसके एजेंट से माल स्वीकार न करे।
5.	नियम 16 का उप-नियम (4)	अपने कर्मचारियों के लिए विदेशी प्रचालक द्वारा स्थापित और अनुरक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वीकार करना।
6.	नियम 16 का उप-नियम (8)	माँग पर प्रशिक्षण रिकॉर्ड तैयार करने हेतु।
7.	नियम 17 का उप-नियम (5) और उप-नियम (6)	प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन प्रदान करने हेतु।
8.	नियम 17 का उप-नियम (7) और उप-नियम (8)	प्रशिक्षण संगठन के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
9.	नियम 17 का उप-नियम (9)	माँग पर प्रशिक्षण रिकॉर्ड तैयार करने हेतु।
10.	नियम 17 का उप-नियम (10)	प्रशिक्षण संगठन की नियमावली को स्वीकार करना।

[फा. सं. AV-11012/4/2025-D G]

प्रियंका दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

S.O. 5661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by the Director General of Civil Aviation under the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026, specified in Second Schedule appended hereto, shall also be exercisable by the officers specified in column (1) of the First Schedule appended hereto to the extent specified in the corresponding entries in column (2) of the said First Schedule, subject to the provisions of the said Adhiniyam and the said rules..

FIRSTSCHEDULE

Officer of the Directorate General of Civil Aviation	**S. No of the powers in the Second Schedule**
(1)	**(2)**
Joint Director General of Civil Aviation	1 to 10
Deputy Director General of Civil Aviation	4,5,9,10
Director (Regulations & Information), Dangerous Goods Division	3,6,9,10
Deputy Director (Regulations & Information), Dangerous Goods Division	6,9
Senior Dangerous Goods Inspector	6,9

SECONDSCHEDULE

S.No.	**Provision of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026**	**Nature of Power**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	First proviso to sub-rule *(1)* of rule 3	To certify an operator for the carriage of dangerous goods wherever the State of operator is India.
2.	Second proviso to sub-rule *(1)* of rule 3	To grant approval to a certified operator for the carriage of dangerous goods wherever the State of operator is other than India.
3.	Sub-rule *(3)* of rule 3	To grant approval for the transportation of certain dangerous goods by air where Technical Instructions specify that the transportation of such goods on an aircraft or for other purposes must be authorised by an approval of the appropriate authority by the State of origin and the State of operator, wherever India is the

		State of operator or State of origin.
4.	Sub-rule *(5)* of rule 9	To direct the operator not to accept cargo from shipper or his agent.
5.	Sub-rule *(4)* of rule 16	To accept the training programme established and maintained by a foreign operator for their own staff.
6.	Sub-rule *(8)* of rule 16	To produce training records on demand.
7.	Sub-rules *(5)* and (6) of rule 17	To grant an approval to the training organisation.
8.	Sub-rules *(7)* and *(8)* of Rule 17	To grant approval for extension of scope to the training organisation.
9.	Sub-rule *(9)* of rule 17	To produce training records on demand.
10.	Sub-rule *(10)* of rule 17	To accept the manual of training organisation.

[F. No. AV-11012/4/2025-D G]

PRIYANKA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.16 16:42:49 +05'30'